

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

वीतासीन अधिकारी - हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या-42/17

दायर दिनांक- 27.12.2017

जीसीएमएस नं. 2018/00002

उनवान

कैलाश पुत्र नथुआराम जाति ब्राह्मण निवासी खेडिया मोड तहसील हिण्डौन जिला
करौली राजस्थान

—प्रार्थीगण-06

बनाम

रजनी उपाध्याय पत्नि शिवकुमार जाति ब्राह्मण निवासी जनकपुरी टूडलीरोड टूडला
जिला फिरोजाबाद

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत ब्रीच

निर्णय

दिनांक-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 18.01.2018 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 42/17 कैलाश बनाम रजनी आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली